Î FUT

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड ^{नवरल} कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) IRCON INTERNATIONAL LIMITED



NAVRATNA COMPANY (A Govt. of India Undertaking)

IRCON/SECY/STEX/124

24th September, 2024

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Listing Dept./ Dept. of Corporate Services	Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block
Dalal Street	Bandra – Kurla Complex,
Mumbai – 400001	Bandra (East) Mumbai – 400051
बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग	लिस्टिंग विभाग
पी. जे. टावर्स,	एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी-1, जी ब्लॉक,
दलाल स्ट्रीट,	बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई– 400001	बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051
Scrip code / ID: 541956 / IRCON	Scrip Code: IRCON

Sub: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015/ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 30

Sub: Re-appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2024-25/ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की पुनः नियुक्ति

Dear Sir/ Madam, महोदय/महोदया,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is to inform that in exercise of the powers as conferred under Section 139 of the Companies Act, 2013, the Office of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide its letter no. CA. V/ COY/CENTRAL GOVERNMENT,IRLYCC(1)/365 dated 21st September, 2024 (received on 24th September, 2024) has re-appointed M/s. Ramesh C Agrawal & Co., (CR0474), as the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2024-25. M/s Ramesh C Agrawal & Co., vide its letter dated 24th September, 2024 has given its consent to act as the Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2024-25. Statutory Auditors shall also be the auditors of the Consolidated Financial Statement under Section 139 read with Section 129 (4) of the Companies Act, 2013.

The firm is Peer Reviewed by ICAI. The Peer Review Certificate is valid upto 30th June, 2027.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) ने अपने पत्र सं. CA. V/ COY/ CENTRAL GOVERNMENT, IRLYCC(1)/365 दिनांक 21 सितंबर, 2024 (दिनांक 24 सितंबर, 2024 को प्राप्त) के द्वारा मेसर्स रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी, (CR0474) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया है। मेसर्स रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 24 सितंबर, 2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के साथ पठित धारा 129(4) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षक भी होंगे।

यह फर्म ICAI द्वारा पीयर रिव्यूड है। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट 30 जून, 2027 तक वैध है।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद, भवदीय,

(अंकित जैन)/ (Ankit Jain) अनुपालन अधिकारी/ Compliance Officer सदस्यता क्र./ Membership No.: A35053 Date of Event: 24th September, 2024 at 12:50 P.M.

